I-2019/00267

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अपील संख्या 03/2007 अनवान मेजर रतनसिंह बनाम स्व. पाबूसिंह के कामु. सायरकंवर वगैरा
अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम, 1963)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
8/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट श्री संतोषकुमार शर्मा उपस्थित। वकील रेस्पोंडेन्ट श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि वकील अपीलान्ट श्री संतोष शर्मा द्वारा दलील दी जा रही हैं कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश दिनांक 07.04.2000 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जिस अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 11.04.2007 को हुआ है, उससे पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं था। अपीलार्थी ने कृषि भूमि खसरा नंबर 125 रकबा 1.86 हैक्टर की चालु जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु तहसील बाली में दिनांक 04.04.2007 को आवेदन किया गया व नकल अपीलार्थी को दिनांक 09.04.2007 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने नकल के आधार पर नामान्तरकरण रजिस्टर की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.04.2007 को पटवारी हल्का, धणी के समक्ष आवेदन किया, जिस पर पटवारी हल्का, धणी द्वारा दिनांक 11.04.2007 को नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रविष्टि की क्रम संख्या 193 की नकल अपीलार्थी को दी गई। उक्त नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 11.04.2007 को हुआ, उक्त जानकारी होने के बाद अपीलार्थी द्वारा अपील अन्दर मयाद दिनांक 09.05.2007 को 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर दी गई। जिससे अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर अवधि शुमार किये जाने की दलील दी गई। विद्वान् वकील अपीलान्ट श्री संतोष शर्मा द्वारा अपनी दलीलो के समर्थन में कानूनी उद्धहरण आर.आर.डी 14.03.2009 Bhanwar Lal & ors. v/s Moti Lal & ors- (57) पेश की, जिसके अनुसार– Rajasthan Land Revenue Act, Section 84- Limitation Act, Section 5- Revision against order of Addl. Collector- Held, Addl. Collector allowed the limitation application u/s 5, and condoned the delay in both the applications and heard the appeals u/s 75 of the Act in respect of mutations- Prima facie,it appeared to him that no enquiry about the successors of the decide khatedar was made before deciding the mutations- He opted to decide the cases on merits rather on technical Consideration of Limitation and as such condoned delay- Order has been passed by the Addl. Collector in view of the Principle of natural justice-He has not committed any illegality nor any material irregularity in passing the order and order is within jurisdiction- He has exercised his discretion in respect of condonaton of delay- No interference is required. (Paras 8, 9) — विद्वान् वकील अपीलान्ट की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट श्री दिनेश गहलोत द्वारा दलील दी जा रही हैं कि उक्त अपील आदेश दिनांक 07.04.2000 के विरूद्व दिनांक 09.05.2007 को प्रस्तुत की गई, जो प्रथम दृष्ट्या अवधि पार है, जिस तथ्य को अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार करते है। इस प्रकार सात वर्ष पश्चात् प्रस्तुत उक्त अपील अवधि पार होने	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

से परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानो अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन एवं प्रस्तुती कानूनी उद्धहरण में प्रतिवादित सिद्वान्तो के अनुसार तकनिकी आधार पर अपील को खारिज किये जाने को विधि सम्मत नहीं माना गया है। हस्तगत् प्रकरण में अपील देरी से प्रस्तुत हुई है, परन्तु प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो से यह प्रमाणित हैं कि अपीलान्ट को प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.04.2007 को ही हुई है, इस प्रकार जानकारी में आते ही तुरन्त अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय में पेश कर दी गई है। जिससे बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय अपीलान्ट की उक्त अपील को अन्दर अवधिकाल माना जाता हैं। मिसल वास्ते बहस धारा 151 सी.पी.सी दिनांक 16-5-2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner